उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-5
संख्या-43/2023/3121/70-5-2023-8/2023
लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग", जो एक निगमित निकाय होगा तथा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, की स्थापना करती हैं।

राज्यपाल अग्रतर ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं, यदि वह-

क- भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

ख- विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

ग- विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कम से कम दस वर्ष से आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

सदस्यों में से-

क- एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

ख- एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

ग- एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

घ- एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

ङ- एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

च- एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर) से संबंधित रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

छ- छह सदस्य ऐसे शिक्षाविद् होंगे, जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों, और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

आज्ञा से,
(एम.पी. अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan

Uccha Shiksha Anubhag-5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 43/2023/3121/70-5-2023-8/2023, dated 13 December, 2023:

NOTIFICATION

No-43/2023/3121/70-5-2023-08/2023

Lucknow : Dated 13 December, 2023

In exercise of powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no. 15 of 2023), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to establish the "Uttar Pradesh Education Service Selection Commission" which shall be a body corporate with headquarter at Prayagraj.

The Governor is further pleased to appoint a person as Chairperson if he/she–

a. is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Principal Secretary or equivalent thereto in the State Government; or

b. is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or

c. is or has been a Professor of any University established by law for at least ten years and has at least three years of administrative experience.

Of the members–

a. one shall be a person who is or has been a member of the Indian Administrative Service and has held the post of Secretary or any other equivalent post under the State Government;

b. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Higher Education, whose services have been of an excellent order;

c. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Additional Director, Vocational Education, whose services have been of an excellent category;

d. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Secondary Education, whose services have been of an excellent category;

e. one shall be a person, who is or has been, not below the rank of Joint Director, Basic Education, whose services have been of an excellent category;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

f. one shall be a person who has been a member of the Judicial service (District Judge level) with distinguished service;

g. Six shall be educationists whose services have been outstanding and who, in the opinion of the State Government, have made significant contributions to the field of education.

By order,

(M.P. Agrawal)

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-43/2023/3121(1)/70-5-2023-8/2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 200 प्रतियां उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 सचिवालय, नवीन भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

8- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

9- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।

10-निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

11-समस्त अनुभाग, उच्च/माध्यमिक/बेसिक/व्यावसायिक शिक्षा/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार द्विवेदी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।